भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3221

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

3221. श्रीमती संजना जाटवः
श्री प्रताप चंद्र षडग्डी:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री दामोदर अग्रवालः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय कार्बन बाजार के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) ढांचे के संचालन सहित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय संचालन समिति सहित इस योजना के लिए स्थापित संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रशासक के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और रजिस्ट्री के रूप में 'ग्रिड इंडिया' की भूमिका तथा इसकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) नौ ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को 'निष्पादन, उपलब्धि और विनिमय' (पैट) योजना से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) में स्थानांतरित करने की प्रगति का राजस्थान राज्य, विशेष रूप से भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, राज्य-वार ब्यौरा और पंजीकृत आबलिगेटेड संस्थाओं की संख्या और जारी एवं विनिमय किए गए कार्बन क्रेडिट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऑफसेट तंत्र का विस्तार करने या भारतीय कार्बन बाजार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेंगलुरु जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र, हरित उद्योग स्टार्टअप और शहरी जलवायु पहलों के माध्यम से भारतीय कार्बन बाजार में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं तथा इस योजना के तहत ऐसे शहरों में उद्योगों और शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रूपरेखा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) : केंद्र सरकार ने जून, 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) अधिसूचित की थी। इसके क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली जारी की है, जिसके अंतर्गत सटीक एवं पारदर्शी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मापन, प्रतिवेदन एवं सत्यापन (एमआरवी) का एक व्यापक ढांचा स्थापित किया गया है। बीईई ने मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया एवं पात्रता मानदंड तथा सीसीटीएस के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली भी जारी की है।

सीसीटीएस के लिए संस्थागत ढांचा पहले से ही प्रचालनरत है। इसमें राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसकी सह-अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रिड इंडिया रजिस्ट्री के रूप में, बीईई प्रशासक के रूप में तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) भारतीय कार्बन बाजार के लिए नियामक के रूप में कार्य कर रहा है।

(ग) : सात ऊर्जा सघन क्षेत्रों– एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, पल्प एवं पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी और टेक्सटाइल को पैट (निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार) स्कीम से सीसीटीएस में स्थानांतरित किया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 490 बाध्यकारी संस्थाओं को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 64 संस्थाएँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं।

सभी 490 बाध्यकारी संस्थाओं का राज्यवार विवरण, जिसमें राजस्थान में स्थित संस्थाएँ भी शामिल हैं, **अनुबंध-I** पर है। वर्तमान में सीसीटीएस के अंतर्गत किसी भी बाध्यकारी संस्था को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

(घ) : वर्तमान में सीसीटीएस के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार द्वारा पहले ही उन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा चुका है जो इस तंत्र के अंतर्गत परियोजना पंजीकरण के लिए पात्र हैं, जिनमें ऊर्जा, उद्योग, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, वानिकी, परिवहन, फ्यूजिटिव उत्सर्जन, निर्माण, सॉल्वेंट उपयोग तथा कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 एवं 6.4 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पात्र तेरह गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया है। स्वीकृत गतिविधियों की सूची **अनुबंध-II** पर है।

(ङ) : सीसीटीएस के ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत गैर-बाध्यकारी संस्थाएँ, जिनमें उद्योग एवं शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से अनुमोदित शमन गतिविधियों का पंजीकरण करा सकती हैं। इसे सरल बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत नौ कार्यप्रणालियाँ विकसित की हैं, जो उत्सर्जन में कमी या निष्कासन के परिमाणीकरण एवं सत्यापन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन कार्यप्रणालियों का विवरण **अनुबंध-III** पर है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3221

अनुबंध-I

राज्य	कुल बाध्यकारी संस्थाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	30
असम	8
बिहार	4
छत्तीसगढ़	11
दादरा और नगर हवेली	17
गुजरात	71
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	7
कर्नाटक	22
केरल	3
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
मेघालय	8
ओडिशा	18
पुद्दुचेरी	2
पंजाब	26
राजस्थान	64
तमिलनाडु	41
तेलंगाना	21
उत्तर प्रदेश	34
उत्तराखंड	6
पश्चिम बंगाल	15
कुल	**490**

राजस्थान राज्य में बाध्यकारी संस्थाएं

जिला	कुल बाध्यकारी संस्थाओं की संख्या
कोटा	4
अलवर	5
सिरोही	2
चित्तौड़गढ़	8
उदयपुर	3
अजमेर	1
पाली	4
बूंदी	1
कोटपुतली	1
नागौर	1
जोधपुर	1
श्रीगंगानगर	1
सीकर	2
भीलवाड़ा	23
बांसवाड़ा	6
झालावाड़	1
कुल	**64**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3221

अनुबंध-।।

एनडीएआईपीए द्वारा अनुमोदित गतिविधियों की सूची

I. ग्रीनहाउस गैस शमन गतिविधियाँ:

1. भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा (केवल भंडारित घटक)
2. सौर तापीय ऊर्जा
3. अपतटीय पवन ऊर्जा
4. हरित हाइड्रोजन
5. संपीड़ित बायोगैस
6. ईंधन सेल जैसी उभरती गतिशीलता समाधान
7. ऊर्जा दक्षता के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी
8. संधारणीय विमानन ईंधन
9. कठिन-न्यूनन क्षेत्रों में प्रक्रिया सुधार के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियाँ
10. ज्वारीय ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा, महासागर लवणता प्रवणता ऊर्जा, महासागर तरंग ऊर्जा तथा महासागर धारा ऊर्जा
11. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट पारेषण।

II. वैकल्पिक सामग्री:

12. हरित अमोनिया

III. निष्कासन गतिविधियाँ:

13. कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3221

अनुबंध-III

सीसटीएस के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र में कार्यप्रणालियों की सूची

1. बीएम ईएन 01.001 - नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड-संलग्न विद्युत उत्पादन
2. बीएम ईएन 01.002 – जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन उत्पादन
3. बीएम आईएन 02.001 – औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा दक्षता एवं ईंधन परिवर्तन उपाय
4. बीएम आईएन 02.002 - बायोगैस से प्राप्त मीथेन का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन
5. बीएम डब्ल्यूए 03.001 - लैंडफिल मीथेन की पुनर्प्राप्ति
6. बीएम डब्ल्यूए 03.002 - लैंडफिल गैस का फ्लेरिंग अथवा उपयोग
7. बीएम एजी 04.002 - घरेलू एवं छोटे फार्मों में पशुधन और गोबर प्रबंधन से मीथेन की पुनर्प्राप्ति
8. बीएम एफआर 05.001 - क्षतिग्रस्त मैंग्रोव आवासों का वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण
9. बीएम एफआर 05.002 - आर्द्रभूमियों को छोड़कर अन्य भूमि का वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण।

****